[1][धारा 74क : वित्तीय वर्ष 2024–25 से संबंधित असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर से संबंधित किसी कारण से गलत तरीके से लिए गए या कपट से या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण

(1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है तो वह ऐसे कर के प्रभार्य उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार संदत्त नहीं किया गया है या जिसे इस प्रकार कम संदत्त किया गया है या जिस व्यक्ति को त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जिसने गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए क्यों न वह धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ सूचना में विनिर्दिष्ट रकम तथा इस अधिनियम अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति का संदाय करें सूचना की तामील करेगा :

(2) समुचित अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख से बयालिस मास के भीतर या त्रुटिवश की तारीख से बयालिस मास के भीतर उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए सूचना जारी की गई है, वहां समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति पर उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए असंदत्त या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर अथवा गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला एक कथन तामील कर सकेगा।

(4) ऐसे कथन की तामील, उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अंतगर्त आने वाली अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए विश्वास किए गए आधार पूर्ववर्ती सूचना में उल्लिखित आधारों के समान ही है, सूचना की तामीम समझी जाएगी।

(5) उस मामले में जहां कर संदत्त नही किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां शास्ति, –

(i) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन व तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न, किसी कारण से ऐसे व्यक्ति से देय कर के दस प्रतिशत के समतुल्य या दस हजार रूपए, जो भी उच्चतर हों होगी :

(ii) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के लिए ऐसे व्यक्ति से देय कर के समतुल्य होगी।

(6) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन यदि कोई हों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से देय कर ब्याज और शास्ति की रकम अवधारित करेगा तथा आदेश जारी करेगा।

(7) समुचित अधिकारी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सूचना को जारी करने की तारीख से बारह माह के भीतर उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करेगा।

परंतु जहां समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी करने में असमर्थ है वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत केंद्रीय कर संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति वाला समुचित अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ट अधिकारी, उपधारा (6) के अधीन

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा धारा 74क अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

आदेश जारी करने में विलंब के कारणो को अभिलिखित करके ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व, उक्त अवधि को अधिकतम छह मास की और अवधि तक बढ़ा सकेगा ।

(8) जहां कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटीवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति –

(i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पुर्व, ऐसे कर के स्व–अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर का संदेय ब्याज सहित कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधनी किसी सूचना या उपधारा (3) के अधीन कथन की तामील नहीं करेगा :

(ii) कारण बताओ सूचना के जारी के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सहित उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर, कोई शास्ति संदेय नहीं होगी तथा उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ।

(9) जहां कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटीवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति –

(i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पुर्व, ऐसे कर के स्व–अभिनिश्चय कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ कर की रकम का संदाय कर सकेगा और संदाय के बारे में लिखित मे समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा, तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमो के उपबंधो के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध मे, उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा :

(ii) सूचना के जारी के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएगी :

(iii) आदेश की संसूचना के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पचाश प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा, और ऐसा करने पर उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएगी ।

(10) जहां समुचित अधिकारी की यह राय है कि जहां उपधारा (8) के खंड़ (प) या उपधारा (9) के खंड़ (प) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, वहां ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना करने के लिए अग्रसर होगा ।

(11) उपधारा (8) के खंड़ (प) या खंड़ (पप) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (5) के खंड़ (प) के अधीन वहां शास्ति संदेय होगी, जहां स्व–निर्धारित कर की कोई रकम या कर के रूप मे संग्रहीत कोई रकम ऐसे कर के संदाय की देय तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त नहीं की गई है।

(12) वित्तिय वर्ष 2024–25 से संबंधित कर के अवधारण के लिए इस धारा के उपबंध लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 1 – इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(i) ''उक्त सूचना के संबंध मे सभी कार्यवाहियां'' पद के अंतर्गत धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी :

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति, और किन्ही अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और मुख्य व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी कार्यवाहियां इस धारा के अधीन समाप्त हो गई हैं, वहां धारा 122 और धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी।

स्पष्टीकरण 2 – इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''छिपाना'' पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी की घोषणा न करना अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कराधेय व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में समुचित अधिकारी द्वारा लिखित मे घोषणा करे या पुछे जाने पर कोई जानकारी प्रस्तुत करने की असफलता की घोषणा करें।]

उपयुक्त नियमः नियम 142

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी डीआरसी–01, जीएसटी डीआरसी–01क, जीएसटी डीआरसी–01ख, जीएसटी डीआरसी–02, जीएसटी डीआरसी–03, जीएसटी डीआरसी–04, जीएसटी डीआरसी–05, जीएसटी डीआरसी–06, जीएसटी डीआरसी–07, जीएसटी डीआरसी–08